

## ‘राज्य महिला आयोग’ : एक आवश्यकता

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में वृंदावन और देश के अन्य स्थानों के वधिया आश्रमों में रह रही बेसहारा वधिया महिलाओं की दयनीय स्थिति की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सभी राज्यों में ‘राज्य महिला आयोग’ (state commissions for women-SCW) की मौजूदगी को सुनिश्चित कराने का आदेश जारी किया है।

### प्रमुख बिंदु

- दरअसल, बेसहारा वधियाओं की स्थिति से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए न्यायालय का कहना था कि यदि इन राज्यों में महिला राज्य महिला आयोग मौजूद नहीं थे तो राज्य सरकारों का ध्यान ऐसे पैनों के गठन पर केंद्रित होना चाहिये था।
- न्यायाधीश एम.बी. लोकुर की अध्यक्षता में गठित एक खंडपीठ का यह कहना था कि महान्यायाभक्ति को भी न्यायालय को इस विषय में अवगत कराना चाहिए था कि सभी राज्यों में महिलाओं के लिये राज्य आयोग मौजूद हैं, अथवा नहीं।
- हालाँकि केंद्र सरकार ने खंडपीठ को यह आश्वासन दिया है कि इसके द्वारा कार्य योजना पर एक हलफनामा तैयार किया जाएगा जिसमें बेसहारा वधियाओं की स्थिति में सुधार करने के लिये किये जाने वाले कार्यों की सूची को शामिल किया जाएगा।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर यह कार्य करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
- अगस्त माह में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहषिकृत वधिया महिलाएँ समाज के सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग में आती हैं और वृंदावन और देश के किसी भी राज्य के वधिया आश्रमों में उनके आत्म-सम्मान के साथ किसी भी तरह का खलिवाड़ नहीं किया जाना चाहिये। यह समाज का एक अति संवेदनशील वर्ग है जिसकी न्याय तक पहुँच नहीं होती है। अतः उन्हें शीघ्रतः शीघ्र सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

### राष्ट्रीय महिला आयोग

- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनके लिये वधिया सुझावों की सफारिश करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतित्त मामलों में सरकार को सलाह देना है।
- भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी एक समिति ने त्करीबन दो दशक पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की सफारिश की थी, ताकि इसके माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का निवारण कर उनके सामाजिक व आर्थिक विकास को गति दी जा सके।